आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
	सारण समाहरणालय, छपरा। **न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा।** **जिला विधि प्रशाखा** **आपूर्त्ति अपील वाद सं0 19/2013** **मोहन प्रसाद बनाम अनुमंडल पदाधिकारी, सदर** **आदेश**	
9/1/2014	संदर्भित अपील आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी, मढ़ौरा के आदेश ज्ञापांक 1522 दिनांक 21.11.2011 के विरूद्व वाद दायर किया गया है। दायर अपील वाद की सुनवाई की गई। वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि श्री मोहन प्रसाद I, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, वार्ड नं0–20, दहियावां नगर परिषद, छपरा, अनुज्ञापन सं0 56/07 दिनांक 4.11.2010 को पीलिया रोग से ग्रसित होने का उल्लेख करते हुए चिकित्सीय प्रमाण पत्र के साथ समुचित इलाज हेतु दो माह के अवकाश हेतु आवेदन पत्र दिया गया था। विक्रेता द्वारा दूकान संचालन में बीमारी के कारण असमर्थता व्यक्त करने की स्थिति में विक्रेता की दुकान उसी वार्ड के अन्य विक्रेता के साथ सम्बद्व कर दी गयी थी। विक्रेता अपनी अस्वस्थता को व्यक्त करते हुए बार–बार अवकाश अवधि विस्तार हेतु आवेदन देकर दुकान संचालन से भगते रहे। परिणामस्वरूप अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा विक्रेता से बार–बार स्पष्टीकरण पूछा गया। अंततः अपने पत्रांक 1170 दिनांक 3.9.2011 के द्वारा असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सारण से एक मेडिकल बोर्ड का गठन कर विक्रेता के स्वास्थ्य की जॉच करने का अनुरोध किया गया, जिसके आलोक में चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा मेडिकल बोर्ड का गठन कर दिनांक 16.9.2011 को 12.00 बजे अपराह्न में स्वास्थ्य की जॉच हेतु समय निर्धारित की गयी, जिसकी सूचना विक्रेता को अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय ज्ञापांक 1227 दिनांक 15.9.2011 को दी गयी, लेकिन विक्रेता निर्धारित तिथि एवं समय पर स्वास्थ्य की जॉच हेतु उपस्थित नहीं हुआ। इसके बाद भी अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा उन्हें अपनी स्थिति स्पष्ट करने के संबंध में अपने ज्ञापांक 1287 दिनांक 25.9.2011 एवं 1422 दिनांक 29.10.2011 के द्वारा विक्रेता को निर्देश दिया गया, लेकिन विक्रेता उपस्थित नहीं हुआ और न ही अपना कोई स्पष्टीकरण ही प्रस्तुत किया। तत्पश्चात् अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, छपरा ने विक्रेता की दुकान अनुज्ञप्ति रद्द कर दी।	

अनुज्ञप्ति रद्द करने संबंधी प्रश्नगत आदेश को चुनौती देते हुए उपस्थित अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता ने बतलाया दिनांक 6.8.2010 को अपीलार्थी के दामाद की अचानक मृत्यु हो जाने के कारण अपीलार्थी शोकग्रस्त हो गया था, इसके बावजूद अक्टूबर, 2010 तक उपभोक्ताओं के बीच सामान वितरित किया था। इसी चिंता की वजह से अपीलार्थी अस्वस्थ्य हो गया था। चिकित्सीय जॉच से पता चला कि अपीलार्थी को संक्रामक पीलिया रोग हो गया जिसकी वजह से अपीलार्थी को आराम की सख्त जरूरी हो गई थी। स्वास्थ्य में सुधार नहीं होने के कारण नोएडा एवं पटना में ईलाज करवाया गया था। इस संबंधी में अपीलार्थी ने लिखित रूप से अनुमंडल पदाधिकारी को अवगत कराया जाता रहा था। यह भी बतलाया कि अपीलार्थी के दामाद की असामायिक मृत्यु तथा विधवा बेटी की विवशता एवं शारीरिक अस्वस्थता के कारण अपीलार्थी को दिल्ली में रहने के लिए विवश कर दिया था। उक्त अपरिहार्य कारणवश न्यायालय में समय–सीमा के अन्दर अपील दायर नहीं किया जा सका था। विज्ञ अधीवक्ता ने विक्रेता के अनुज्ञप्ति बहाल करने हेतु अनुरोध किया।

सरकार का पक्ष रखते हुए विज्ञ विशेष लोक अभियोजक ने बतलाया कि विक्रेता पर जो आरोप लगाया गया है, वह अनुज्ञप्ति की शर्त्तों, विभागीय दिशा–निर्देशों के उल्लंघन का परिचायक है।

उभय पक्षों को सुनने तथा अभिलेख का परिसीलन किया। परिसीलनोपरान्त मैं पाता हूँ कि अपीलार्थी अपनी अस्वस्थता को व्यक्त करते हुए बारम्बार अवकाश अवधि विस्तार हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। यह भी मैं पाता हूँ कि अपीलार्थी ने अपना स्पष्टीकरण दिनांक 20.6.2011 को डॉक्टर के अनुशंसा एवं पूर्जे की फैक्स प्रति के साथ प्रस्तुत किया था, जिसमें अपीलार्थी को अगले 08 सप्ताह के विश्राम की अनुशंसा की गयी थी, परन्तु अवधि समाप्ति के बावजूद भी दुकान संचालन हेतु कोई अभ्यावेदन नहीं दिया। अनुमंडल पदाधिकारी, सदर के अनुरोध पर चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा मेडिकल बोर्ड का गठन कर दिनांक 16.9.2011 को 12.00 बजे अपराह्न में स्वास्थ्य की जॉच हेतु समय निर्धारित की गयी, परन्तु अपीलार्थी निर्धारित तिथि एवं समय पर स्वास्थ्य की जॉच हेतु उपस्थित नहीं हुआ। इसके बाद भी अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा अपीलार्थी को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया, फिर भी अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ और न ही अपीलार्थी द्वारा कोई स्पष्टीकरण ही प्रस्तुत किया गया। उक्त तथ्यों से मैं पाता हूँ कि अपीलार्थी को बार–बार मौका दिया गया, लेकिन अपीलार्थी ने दुकान संचालन में कोई अभिरूचि नहीं दिखाया, जो अनुज्ञप्ति उल्लंघन का परिचायक है। अतः अपीलार्थी के अपील

आवेदन को स्वीकार करने का कोई पर्याप्त आधार नहीं पाता हूँ। अतः अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

वाद निष्पादित

लेखापित एवं संशोधित

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा।

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 25 /न्यायालय दिनांक 27/01/2014

प्रतिलिपि- अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- N.I.C पदाधिकारी, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता

जिला विधि शाखा, सारण।

27/1/14